रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 1994/भाद्र 18, 1916
No. 381] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 1994/BHADRA 18, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1994

सं. 168/94—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 685 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 83/90 सीमा-शुल्क, तारीख 20 मार्च, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "या प्रेरण-भट्टी" शब्दों के पश्चात् जहां-जहां वे आते हैं "या तप्त वायु गुम्बद" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. बी 31/3/94 टी आर यू]
राजीव शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी:—मूल अधिसूचना दिनांक 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना सं. 83/90-सीमा शुल्क [सा. का. नि. 313(अ) दिनांक 20 मार्च, 1990] द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी—

(i) अधिसूचना सं. 21/92—सीमाशुल्क, दिनांक 16 जनवरी, 1992 [सा. का. नि. 48(अ) दिनांक 16 जनवरी, 1992]

(ii) अधिसूचना सं. 214/92—सीमाशुल्क, दिनांक 9 जून, 1992 [सा. का. नि. 586(अ) दिनांक 9 जून, 1992]

(iii) अधिसूचना सं. 45/93—सीमाशुल्क, दिनांक 28 फरवरी, 1993 [सा. का. नि. 123(अ) दिनांक 28 फरवरी, 1993]

(iv) अधिसूचना सं. 116/93—सीमाशुल्क, दिनांक 4 मई, 1993 [सा. का. नि 400(अ), दिनांक 4 मई, 1993]

(v) अधिसूचना सं. 52/94—सीमाशुल्क, दिनांक पहली मार्च, 1994 [सा. का. नि. 164(अ) दिनांक 1 मार्च, 1994]

(vi) अधिसूचना सं. 116/94—सीमाशुल्क दिनांक 25 अप्रैल, 1994 [सा. का. नि. 411(अ) दिनांक 25 अप्रैल, 1994]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 1994

No. 168|94-CUSTOMS

G.S.R. 685(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government,

being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 83|90-Customs, dated the 20th March, 1990, namely :—

In the said notification, after the words "induction furnace", wherever they occur, the words "or a hot blast cupola" shall be inserted.

[F. No. B 31|3|94-TRU]

RAJIV SHARMA, Under Secy.

Foot Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide notification No. 83|90-Customs, dated the 20th March, 1990 (G.S.R. 313(E) dated the 20th March, 1990) and subsequently amended by,—

(i) notification No. 21|92-Customs, dated the 16th January, 1992 (G.S.R. 48(E) dated the 16th January, 1992).

(ii) notification No. 214|92-Customs, dated the 9th June, 1992 (G.S.R. 586 (E) dated the 9th June, 1992).

(iii) notification No. 45|93-Customs, dated the 28th February, 1993 (G.S.R. 123(E) dated the 28th February, 1993).

(iv) notification No. 116|93-Customs, dated the 4th May, 1993 (G.S.R. 400(E) dated the 4th May, 1993).

(v) notification No. 52|94-Customs, dated the 1st March, 1994 (G.S.R. 164(E) dated the 1st March, 1994).

(vi) notification No. 116|94-Customs, dated the 25th April, 1994 (G.S.R. 411(E) dated the 25th April, 1994).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994